

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 33
राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	275423.23	6.70	275429.93	272159.62	91.21	272250.83	272440.51	14.24	272454.75	201499.62	13.02	201512.64
वसूलियां	-	-6.21	-120585.42	-	...	-135460.50	-	...	-139800.67	-100077.26	...	-100077.26
प्राप्तियां	120579.21	...	-195.27	135460.50	...	-150.00	139800.67	...	-200.00	-200.00	...	-200.00
निवल	-195.27	...	-195.27	-150.00	...	-150.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00
	154648.75	0.49	154649.24	136549.12	91.21	136640.33	132439.84	14.24	132454.08	101222.36	13.02	101235.38
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	353.18	...	353.18	437.69	...	437.69	411.46	...	411.46	452.03	...	452.03
2. मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. प्रवर्तन निदेशालय	240.94	...	240.94	259.31	...	259.31	265.86	...	265.86	311.49	...	311.49
4. स्वापक नियंत्रण	43.70	...	43.70	34.90	...	34.90	35.31	...	35.31	37.65	...	37.65
5. विशेष जांच दल	2.41	...	2.41	3.16	...	3.16	2.96	...	2.96	3.13	...	3.13
6. वास्तविक वसूलियां	-8.44	...	-8.44
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	631.79	...	631.79	735.07	...	735.07	715.59	...	715.59	804.31	...	804.31
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	10.00	...	10.00	9.36	...	9.36	18.91	...	18.91	8.50	...	8.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश	...	2.55	2.55	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	8.23	...	8.23	8.11	...	8.11	10.17	...	10.17	11.06	...	11.06
10. अन्य व्यय	44.61	...	44.61	49.87	...	49.87	51.37	...	51.37	52.04	...	52.04
11. अफीम एवं धारोद्य कारखाना												
11.01 अफीम और धारोद्य कारखानों में कार्यशील व्यय	311.57	...	311.57	286.41	...	286.41	204.31	...	204.31	281.83	...	281.83
	-72.48	...	-72.48
निवल	239.09	...	239.09	286.41	...	286.41	204.31	...	204.31	281.83	...	281.83
11.02 घटाएं राजस्व प्राप्ति	-195.27	...	-195.27	-150.00	...	-150.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11.03 अफीम और धारोद कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	4.15	4.15	...	7.20	7.20	...	5.23	5.23	...	10.00	10.00
जोड़- अफीम एवं धारोद कारखाना	43.82	4.15	47.97	136.41	7.20	143.61	4.31	5.23	9.54	81.83	10.00	91.83
12. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	0.01	...	0.01	0.25	...	0.25	0.05	...	0.05	0.15	...	0.15
13. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	81.00	81.00	...	6.00	6.00	...	0.01	0.01
	...	-6.21	-6.21
निवल	...	-6.21	-6.21	...	81.00	81.00	...	6.00	6.00	...	0.01	0.01
14. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
15. जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार	242.00	...	242.00	264.44	...	264.44	264.44	...	264.44
जोड़-अन्य	96.67	-2.06	94.61	436.64	91.20	527.84	330.34	14.23	344.57	409.52	13.01	422.53
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	106.67	0.49	107.16	446.00	91.21	537.21	349.25	14.24	363.49	418.02	13.02	431.04
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. बैट को लाने एवं बैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
17. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18. जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	153910.29	...	153910.29	135368.03	...	135368.03	106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00
19. जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति	120498.29	...	120498.29	135368.03	...	135368.03	106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00
20. जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि	-120498.29	...	-120498.29	-135368.03	...	-135368.03	-106317.00	...	-106317.00	-100000.00	...	-100000.00
21. पिछले वर्ष के अविभाजित आईजीएसटी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भाग का अंतरण	58470.00	...	58470.00
22. जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से प्राप्त राशि - पिछले वर्ष के आईजीएसटी के अविभाजित भाग	-33412.00	...	-33412.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	153910.29	...	153910.29	135368.05	...	135368.05	131375.00	...	131375.00	100000.03	...	100000.03
कुल जोड़	154648.75	0.49	154649.24	136549.12	91.21	136640.33	132439.84	14.24	132454.08	101222.36	13.02	101235.38
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.01	...	0.01	0.25	...	0.25	0.05	...	0.05	0.15	...	0.15
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	300.11	...	300.11	563.40	...	563.40	603.84	...	603.84	639.73	...	639.73
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	352.88	...	352.88	437.70	...	437.70	411.46	...	411.46	452.04	...	452.04
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	41.64	...	41.64	43.31	...	43.31	45.18	...	45.18	48.58	...	48.58
5. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.55	2.55	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	-6.21	-6.21	...	81.00	81.00	...	6.00	6.00	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामान्य सेवाएं	694.64	-3.66	690.98	1044.66	81.01	1125.67	1060.53	6.01	1066.54	1140.50	0.02	1140.52
सामाजिक सेवाएं												
7. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
आर्थिक सेवाएं												
8. अन्य उद्योग	43.82	...	43.82	136.41	...	136.41	4.31	...	4.31	81.83	...	81.83
9. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	4.15	4.15	...	7.20	7.20	...	5.23	5.23	...	10.00	10.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	43.82	4.15	47.97	136.41	7.20	143.61	4.31	5.23	9.54	81.83	10.00	91.83
अन्य												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	143897.00	...	143897.00	127440.04	...	127440.04	121651.46	...	121651.46	93000.02	...	93000.02
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	10013.29	...	10013.29	7928.01	...	7928.01	9723.54	...	9723.54	7000.01	...	7000.01
जोड़-अन्य	153910.29	...	153910.29	135368.05	...	135368.05	131375.00	...	131375.00	100000.03	...	100000.03
कुल जोड़	154648.75	0.49	154649.24	136549.12	91.21	136640.33	132439.84	14.24	132454.08	101222.36	13.02	101235.38

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. जीएसटीएन एसपीवी में निवेश	0.01	...	0.01
जोड़	0.01	...	0.01

1. **सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एक्क- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन:** मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को समाप्त करने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

3. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।

4. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और औषध दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5. **विशेष जांच दल:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।

8. **जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश:** माल एवं सेवा कर नेटवर्क विशेष प्रयोजन व्यवस्था में शेयर की खरीद का प्रावधान है।
9. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह, एमॉन्ट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।
10. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जव्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टैट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
11. **अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोद्य कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल होती है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।
12. **राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन राष्ट्रीय समिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।
13. **लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है।
14. **आवास पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए किया गया है।
15. **जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार:** संचालन पत्र व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष माल एवं सेवा कर तंत्र को प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है।
16. **वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान वैट को लागू किए जाने और वैट संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजे के लिए है।
17. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।
18. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण:** जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के तहत भारत की समेकित निधि में एकत्रित उपकर में से लोक खाता में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण का प्रावधान है।
19. **जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति:** जीएसटी के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।
20. **जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि:** यह प्रावधान माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों के मुआवजे के लिए है, जिसे जीएसटी मुआवजा उपकर कोष से पूरा किया जाना है।
21. **पिछले वर्ष के अविभाजित आईजीएसटी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भाग का अंतरण:** यह प्रावधान राज्यों के पिछले वर्ष के अविभाजित आईजीएसटी के अंतरण के लिए है।
22. **जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से प्राप्त राशि - पिछले वर्ष के आईजीएसटी के अविभाजित भाग:** यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईजीएसटी की अविभाजित हिस्से को जारी करने के लिए है।